फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बडीसादडी
बनाम
श्री राधेश्याम पिता नन्दा जणवा निवासी पिण्ड, तहसील बडीसादडी वगैरा

प्रकरण संख्या 54/2014 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.24	पत्रावली पेश हुई। निगराकार की ओर से आज भी बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं। विपक्षीगण के अधिवक्ता उपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। निगराकार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बडीसादडी को इस न्यायालय के पत्रांक 237 दिनांक 20.05.2022 एवं 68 दिनांक 10.02.2023 से प्रकरण में किसी के द्वारा उपस्थिति नहीं देने से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु लिखते हुए प्रकरण में प्रतिकूल आदेश होने अथवा अदम हाजरी अदम पैरवी में प्रकरण खारिज होने की स्थिति में उन्हें स्वयं उत्तरदायी होने के संबंध में अवगत कराते हुए प्रभावी पैरवी हेतु लिखा गया फिर भी उनके द्वारा प्रकरण में उपस्थिति नहीं दी जा रही तथा किसी प्रतिनिधि के द्वारा भी उपस्थिति नहीं दी जा रही है अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। विकास अधिकारी इस संबंध में जवाबदेही तय करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ के अभिलेख के विकास अधिकारी, बडीसादडी को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	